

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need for SC/ST post-matric scholarships to students admitted under management quota/spot counselling

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। महोदय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार एससी/एसटी छात्रों को बड़ी संख्या में post-matric scholarship से वंचित किया जा रहा है। नई नियमावली के अनुसार spot counseling के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। साथ ही वे छात्र, जिन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से दाखिला तो लिया, लेकिन कक्षा 12 में 60 परसेंट से कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अब तक एससी/एसटी छात्रों के लिए professional courses में एडमिशन के लिए कक्षा 12 में 40 परसेंट कट ऑफ अंक निर्धारित थे तथा परिवार की अधिकतम आय ढाई लाख प्रति वर्ष निर्धारित थी, यह अब भी निर्धारित है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे में छात्रवृत्ति देने के लिए कट ऑफ 40 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट करने का निर्णय लेना दिलित- आदिवासी समाज के हित में नहीं है। लखनऊ स्थित डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में B. Pharma, B. Tech, MBA में अनुसूचित जाति के कुल 9,814 छात्रों में से 7,591 छात्रों ने और अनुसूचित जनजाति के 235 छात्रों में से 130 छात्रों ने spot counseling के माध्यम से दाखिला लिया था। नए नियमों के कारण इन 7,591 एससी छात्रों तथा 130 एसटी छात्रों को scholarship नहीं दी जाएगी। यह मैं सिफर एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। इस व्यवस्था से देश में लाखों बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकेगी और वे अपनी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच सकेंगे। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि post-matric scholarship के लिए बनाए गए दोनों नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और सभी छात्रों को professional course करने के लिए छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए।

SHRI RAJ BABBAR (Uttarakhand): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अशोक सिंहराथ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखण्ड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

Need to address difficulties being faced by Saras (Vaishnav Monasteries) in Assam due to encroachment and shortage of finances

श्री राकेश सिन्हा (नाम-निर्देशित) : सभापति जी, हमारे समाज में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की एक अहम भूमिका होती है। खासकर जब हम उस भौतिकता के दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसी परंपरागत संस्थाएं, जो सदियों से काम कर रही हैं, उनको संरक्षित, संवर्द्धित करने का काम हमारा है। मैं इस संदर्भ में आपका ध्यान असम में वैष्णवों की monastery सत्तरा (SATRA) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। 15वीं शताब्दी में सत्तरा की स्थापना हुई। शंकरदेव जी ने इसकी स्थापना की थी। सत्तरा सैंकड़ों की संख्या में हैं जिन्होंने एक learning centre और arbitration